न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः—117/2017 (2017/00117)225/अजमेर

1. तेजपाल पुत्र मांगी लाल जाति माली निवासी पटेल नगर, तोपदड़ा अजमेर।
अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।
2. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.06.2016, प्रकरण संख्या 81/2015 सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर।

उपस्थितः—
1. श्री शहाबुद्दीन खान एड़वोकेट अपीलांट की ओर से ।
2. श्रीधर्मवीर चौधरी एड़वोकेट(राजकीय अभिभाषक)रेस्पोडेन्ट संख्या1 से 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 30.11.2018

1. अपीलांट ने यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय),अजमेर (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 81/2015 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।
2. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/ अपीलांट द्वारा एक वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा वाद के कथन अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम कायल तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांट द्वारा तत्कालीन खातेदार से दिनांक 13.09.1977 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तत्पश्चात उक्त भूमि का अपीलांट के नाम नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 06.12.1978 को अपीलांट के नाम दर्ज किया गया। अपीलांट के नाम सम्पूर्ण रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा 01 बिस्वांसी का नामान्तकरण दर्ज होकर खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया, जो जमाबंदी सम्वत 2028 से स्पष्ट हैं। भू—प्रबन्ध विभाग ने बिना अधिकार के उक्त भूमि को अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के नाम अमल दरामद कर दिया। अन्त में रेस्पोडेन्ट को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की प्रार्थना की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01व 2 को भी जवाब प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया तथा प्रकरण राजस्व कैम्प कायड में नियत कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 18.06.2016 को आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2016 से असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।
4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए बहस जाहिर किया कि बादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर आधार जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के हाल खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नम्बर 4130 रकबा 0.12 है0, 4131 रकबा 0.17 है0, 4132 रकबा 0.10 है0, 4133 रकबा 0.13 है0, 4134 रकबा 0.21 है0, 4128 रकबा 0.02 है, 4125/4784 रकबा 0.16 है0, 4123 रकबा 0.34 है0 भूमि को सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने बिना विधिक अधिकार के अपीलांट की खातेदारी से राजकीय खाते में त्रुटिपूर्ण रूप से गलत अंकन कर दिया । जिसका सेटलमेन्ट अधिकारियों को किसी प्रकार अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना राजस्व रिकार्ड के अवलोकन किये एवं बिना अपीलांट को सनुवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किये हैं जो त्रुटिपूर्ण हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूणरणीय क्षति का बिन्दू अपीलांट के पक्ष में हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र सलंग्न दस्तावेज, तथ्यों एवं कानून की विवेचना किये बिना ही पारित किये गये हैं जो विधि सम्मत नहीं हैं। अपीलांट/प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किये जाने से उक्त आदेश की जानकारी नही हों सकी। दिनांक 18.04.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के कर्मचारियों द्वारा अपीलांट के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी उत्पन्न करने का प्रयास किया जब जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया हैं। उक्त जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही हैं जिसे अन्दर मियाद शुमार की जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णित किया जावें। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट अपीलांट स्वीकार की जाकर ,अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 18.06.2016 को निरस्त किया जावें तथा मूल वाद तक विवादित आराजीयात के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी.2016–17 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 566 की नजीरें प्रस्तुत की।

5. विद्धान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत हैं क्योंकि विवादित आराजी वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं तथा अपीलांट ने अपने पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह प्रतीत हो कि पूर्व में उक्त भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हों। प्रकरण राजस्व कैम्प कायड में निर्णित किया गया हैं किन्तु अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 18.06.2016 जो पारित किये गये वो एक तरफा आदेश पारित किये गये हैं इसलिए संभवता इसकी जानकारी अपीलांटस को नहीं हुई हों। अपील में देरी होने बाबत् अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया हैं।अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को भी बिना सुने आदेश पारित किया हैं जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उलघ्घंन है। अपील जानकारी तिथी से परिसीमा में हैं। न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

7. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों एवं प्रस्तुत नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान द्धारा की गई बहस के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2028 के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 4130 रकबा 0.12 है0, 4131 रकबा 0.17 है0, 4132 रकबा 0.10 है0, 4133 रकबा 0.13 है0, 4134 रकबा 0.21 है0, 4128 रकबा 0.02 है, 4125/4784 रकबा 0.16 है0, 4123 रकबा 0.34 है0 तत्कालिन खातेदार किशना पुत्र बिरदा जाति माली के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी उक्त भूमि अपीलांट द्वारा दिनांक 13.09.1977 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा क्रय की हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को राजस्व कैम्प में बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना आदेश पारित किये है। हम अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से सहमत हैं कि एक पक्षीय आदेश को विधिक रूप से न्याय सम्मत नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषि किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर का आदेश दिनांक 18.06.2016 निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित करें।

30/11/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।

9. आदेश आज दिनाक 30.11.2018को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

30/11/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।